संसदीय निर्वाचनों का संचालन (सिक्किम) नियम, 1977

का0 आ0 45(अ), तारीख 25 जनवरी, 1977--केंद्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संसदीय निर्वाचनों का संचालन (सिक्किम) नियम, 1975 को अधिक्रांत करते हुए, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का नाम संसदीय निर्वाचनों का संचालन (सिक्किम) नियम, 1977 है ।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे ।

2. सिक्किम से संसद् के निर्वाचनों को निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का लागू होना-- निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 वहां तक जहां तक वे, यथास्थिति, लोक सभा या राज्य सभा के निर्वाचनों से संबंधित हैं, सिक्किम राज्य को, यथास्थिति, लोक सभा या राज्य सभा के लिए किसी निर्वाचन के संबंध में, इस उपांतरण के अधीन रहते हुए, लागू होंगे कि उक्त नियमों के नियम 90 में सारणी में वे शीर्ष "1-राज्य" के अंतर्गत, पश्चिमी बंगाल से संबंधित प्रविष्टि 21 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"22, सिक्किम .... 15,000 ...." ।

[भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 (ii), पृष्ठ 111]